

कार्यालय: प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक:- 103

राँची, दिनांक:- 03/02/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- M/s DVC द्वारा CCL Karo Konar 33KV DC Transmission Line for 16MVA power Supply Arrangement परियोजना हेतु कुल 4.9969 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 46 दिनांक 12.01.2023

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रांसांगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं० FP/JH/Trans/33711/2018 द्वारा कुल 4.9969 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पाँच प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुई है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

1. यह परियोजना बोकारो वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
2. Form-A Part-I के अनुसार इस परियोजना हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को कुल 8.199 हे० भूमि की आवश्यकता है जिसमें 4.9969 हे० वनभूमि एवं 3.2021 हे० गैर वनभूमि शामिल है।
3. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :-

क्र०सं०	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकवा (हे० में)	जंगल-झाड़ी का रकवा (हे० में)	वनस्पति घनत्व
1.	बोकारो	4.9969 हे०	शून्य	0.6

4. इस परियोजना में कुल 4.9969 हे० वनभूमि अन्तर्ग्रस्त है, जिसमें 4.9969 हे० अधिसूचित वनभूमि एवं जंगल-झाड़ का रकवा शून्य है।
5. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form-A part-I में अभियुक्ति दर्ज कर आवेदन दर्ज है तथा भारत सरकार के website पर निर्धारित Format में अभियुक्ति दर्ज कर Upload किया गया है।
6. प्रस्ताव के साथ पार्ट-II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का मंतव्य दर्ज है। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी, बोकारो का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निर्धारित Format पार्ट-II में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कर website पर अपलोड किया गया है।

7. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी/मौजावार/रकबावार/निम्नवत् है:-

Sl. No.	Block	District/ Village/ Sheet	P.S.No	Khata No.	Plot No.	Line corridors plot Area (In Acre)	Line corridors plot Area (In Hectare)	Type of Land
1	Gomia	Mahlibandh	113		519	0.0070	0.0028	GM-Khas: Parti Kadim
	Gomia				518	0.0187	0.0075	GM-AAM: Rasta
	Gomia				502	0.2914	0.1179	GM-Khas: Parti Kadim
	Gomia				489	0.9186	0.3717	GM-Khas : River
	Gomia				497	0.7600	0.3076	GM-Khas: Parti Kadim
	Gomia				498	0.0268	0.0108	Raiyat
	Gomia				496	0.3649	0.1477	Raiyat
TOTAL						2.3873	0.9661	
2	Bermo	Borea-2	115		3	0.1166	0.0472	Raiyat
	Bermo				59	1.4338	0.5802	GM-Khas: DONA-EK
	Bermo				95	0.0583	0.0236	Raiyat
	Bermo				113	0.2564	0.1038	Raiyat
	Bermo				114	0.0816	0.0330	Raiyat
	Bermo				55	1.5737	0.6368	GM-Khas: Parti Kadim
	Bermo				38	0.1515	0.0613	Raiyat
	Bermo				23	1.8534	0.7501	GM-Khas: Parti Kadim
TOTAL						5.5253	2.2360	
3	Bermo	Gobindpur-4	15	91	2765	4.438	1.7960	P.Forest(Notified)
	Bermo			91	2745	0.64	0.2590	P.Forest(Notified)
TOTAL						5.078	2.0550	
4	Bermo	Gobindpur-6	15	91	2767	5.28	2.1367	P.Forest(Notified)
TOTAL						5.28	2.1367	
5	Bermo	Gobindpur-5		91	2766	0.93	0.3763	P.Forest(Notified)
TOTAL						0.93	0.3763	
6	Bermo	Kurpania	17	1	1	1.06	0.4289	P.Forest(Notified)
TOTAL						1.06	0.4289	
	SUM TOTAL					20.2606	8.1990	
Area of forest land to be diverted						12.3480	4.9969	

8. पार्ट-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है
9. प्रस्ताव के साथ 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।
10. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर ट्रान्समिशन लाइन का आरेखन दिखाते हुए संलग्न है।
11. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है।
12. प्रस्ताव के साथ वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।
13. प्रस्ताव के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी बोकारो द्वारा अपने पार्ट-II में दर्ज अभियुक्ति के अनुसार इस परियोजना में Transmission line के संरेखन में पड़ने वाले वृक्षों की कुल संख्या 964 है।
14. प्रस्ताव के साथ लागत-लाभ विश्लेषण संलग्न है।
15. चूंकि इस परियोजना में JJ Land अर्तग्रस्त नहीं है अतः इसके उपयोग हेतु संबंधित उपायुक्त बोकारो का अनापति-प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।
16. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित उपायुक्त बोकारो द्वारा प्रमाण पत्र अभी प्रक्रियाधीन है। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाण पत्र शीघ्र समर्पित करने हेतु बचनबद्धता दी गयी है। अनु-0-08 ग्रामसभा की बैठक की कार्रवाई की प्रति संलग्न है।
17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।
18. वन प्रमंडल पदाधिकारी बोकारो द्वारा अपने पार्ट-II के कंडिका 11 के उप कंडिका (I) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि पर किसी भी प्रकार के violation नहीं किये जाने की सूचना दी गई है।
19. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।
20. प्रस्ताव के साथ CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।

21. अपयोजन हेतु प्रस्तावित 4.9969 हे० वनभूमि हेतु क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दोगुणे 9.9938 हे० के विरुद्ध 10 हे० अवकृष्ट वनभूमि का चयन किया गया है। जो निम्नवत् है:-

क्र०सं०	वन प्रमंडल का नाम	मौजा का नाम	थाना एवं थाना नं०	प्लॉट नं०	अवकृष्ट वनभूमि का रकबा हे० में
1	बोकारो	कजकिरो	नावाडीह/14	316/P	10
कुल :					10 हे०

- प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा, DGPS, KML file, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है।
22. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो से प्राप्त प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 4.9969 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज-I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं HoFF, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:-यथोक्त।

प्रस्ताव की तीन मूल प्रति के साथ।

विश्वासभाजन

 03.02.2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।


3.2.23

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

***Construction of 33 KV DC T/L M/s CCL-Karo Konar OCP from DVC-BTPS
S/Yard (4.9969 ha)***

**17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department
for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)**

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 4.9969 ha Forest land

Date :- 03.02.2023

Place :- Ranchi

Signature



03.02.2023

(Sanjay Srivastava)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests

Cum-Executive Director

Waste Land Development Board

Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)